

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-26/2024-25

दशरथ राय वगै

बनाम्

प्रमोद कु० जयसवाल

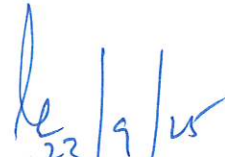
—: आदेश :—

अपीलकर्तागण लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्तागण को इस अपील वाद में अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः (Code of Civil Procedure, 1908) के XLI Rule 17(1) के तहत वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


23/9/25
उपायुक्त,
गोड्डा।


23/9/25
उपायुक्त,
गोड्डा।